पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान

प्रकरण सं0 : 241/2022

नाम :
1. रघुवीरसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत निवासी किराड़ाछोटा तहसील भादरा।
2. सवाई सिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत निवासी किराड़ाछोटा तहसील भादरा।

:— वादीगण

बनाम

1. हरिसिंह पुत्र सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी किराड़ाछोटा तहसील भादरा।
2. आरएमजीबी शाखा कलाना जरिये शाखा प्रबंधक आरएमजीबी शाखा कलाना तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री बलवन्तसिंह एवं वकील प्रतिवादी श्री दीवानसिंह की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक जवाबदावा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा किराड़ाछोटा के खाता सं0 128/121 के ख0नं0 15 की 11.3570 है0, ख0नं0 175 की 3.0730 है0, ख0नं0 177 की 1.8710 है0 तथा ख0नं0 179 की 8.7260 है0, ख0नं0 37 की 3.3510 है0, तथा ख0नं0 39 की 2.5540 है0 कुल खसरा 6 की कुल 30.9320 है वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह के नाम 189/1406 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह अकेले की बजाय वादी सं0 1 रघुवीरसिंह व प्रतिवादी सं0 2 सवाई सिंह तथा प्रतिवादी संख्या 1 हरिसिंह को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह आंशिक पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.03.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.02 12:18:55 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा(हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान

प्रकरण सं0 : 241/2022

कथान :
1. रघुवीरसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत निवासी किराड़ाछोटा तहसील भादरा।
2. सवाई सिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत निवासी किराड़ाछोटा तहसील भादरा।

:— **वादीगण**

बनाम

1. हरिसिंह पुत्र सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी किराड़ाछोटा तहसील भादरा।
2. आरएमजीबी शाखा कलाना जरिये शाखा प्रबंधक आरएमजीबी शाखा कलाना त0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री बलवन्त सिंह : **वादी**

वकील श्री दीवानसिंह : **प्रतिवादी सं0 1**

वकील श्री संजय गोस्वामी : **प्रतिवादी सं0 4**

निर्णय **दिनांक :** 18.03.25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा किराड़ाछोटा के खाता सं0 128/121 के ख0नं0 15 की 11.3570 है0, ख0नं0 175 की 3.0730 है0, ख0नं0 177 की 1.8710 है0 तथा ख0नं0 179 की 8.7260 है0, ख0नं0 37 की 3.3510 है0, तथा ख0नं0 39 की 2.5540 है0 कुल खसरा 6 की कुल 30.9320 है वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह के नाम 189/1406 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादीगण के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 जवाबदावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद तामील के उपस्थित नहीं आये उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 3 द्वारा जबावदावा पेश किया गया।

अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया। साक्ष्य वादी में रघुवीर सिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत निवासी किराड़ाछोटा तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा किराड़ाछोटा खाता संख्या 128/121 सम्वत 2076–79 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही मौजा किराड़ाछोटा संवत 2072–2075 प्रदर्श 2, [illegible] पत्र ग्राम पंचायत किराड़ाबड़ा प्रदर्श 3 तथा शपथ पत्र बाबत साक्ष्य रघुवीर सिंह प्रदर्श [illegible] प्रदर्शित करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण एवं प्रतिवादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.02 12:18:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...कार मुताबिक जवाबदावा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण ...क्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत ...तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम ...राड़ाछोटा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा ...रवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य ...माण पत्र प्रदर्श 1 से 4 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा किराड़ाछोटा के खाता सं0 ...28/121 के ख0नं0 15 की 11.3570 है0, ख0नं0 175 की 3.0730 है0, ख0नं0 177 की 1. ...710 है0 तथा ख0नं0 179 की 8.7260 है0, ख0नं0 37 की 3.3510 है0, तथा ख0नं0 39 की ...5540 है0 कुल खसरा 6 की कुल 30.9320 है वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह के नाम ...89/1406 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह ...अकेले की बजाय वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया ...जावे। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक जवाबदावा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर आंशिक ...स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक जवाबदावा आंशिक डिक्री किया ...जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा किराड़ाछोटा के खाता सं0 128/121 के ...ख0नं0 15 की 11.3570 है0, ख0नं0 175 की 3.0730 है0, ख0नं0 177 की 1.8710 है0 तथा ...ख0नं0 179 की 8.7260 है0, ख0नं0 37 की 3.3510 है0, तथा ख0नं0 39 की 2.5540 है0 कुल ...खसरा 6 की कुल 30.9320 है वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह के नाम 189/1406 हिस्सा ...राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह अकेले की बजाय वादी ...संख्या 1 रघुवीर सिंह, वादी संख्या 2 सवाई सिंह एवं प्रतिवादी संख्या 1 हरिसिंह को बहिस्सा ...बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के ...उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया ...जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। आंशिक पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में ...सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.02 12:18:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner